न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना , सीकर

पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार (आर.ए.एस.).

प्रार्थना पत्र संख्या 274/2018 (जीसीएमएस नं0 2018/00094)

1. सरदारसिंह पुत्र मोहरसिंह
2. रामस्वरुप पुत्र तिलोक
3. महावीर पुत्र तिलोक
4. विक्रम पुत्र तिलोक

समसत जाति अहीर निवासी मोहनपुरा उर्फ खरकडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)
2. हनुमान प्रसाद पुत्र मोहर चन्द यादव निवासी पाटन

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित– 1. श्री सूरजभान पूनियां वकील प्रार्थीगण
2. श्री गोपाल लाल शर्मा वकील अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक – 26.02.21

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इस प्रकार है कि ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन स्थित भूमि खसरा नंबर 971/1 रकबा 0.57 है0, 979/4 रकबा 0.65 है0, 980 रकबा 0.32 है0, 981/1 रकबा 0.24 है0, 985/3 रकबा 0.05 है0, 987/1 रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 रकबा 1.96 है0 की खातेदारी प्रार्थी नं0 1 तथा भूमि खसरा नंबर 966 रकबा 0.57 है0, 967/2 रकबा 0.20 है0, 968/1 रकबा 0.01 है0, 968/3 रकबा 0.05 है0, 969/2 रकबा 0.30 है0, 970/1480 रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 रकबा 1.26 है0 की खातेदारी प्रार्थी नं0 2 ता 4 के नाम तथा भूमि खसरा नंबर 971/3 रकबा 0.14 है0, 972/2 रकबा 0.12 है0, 973/2 रकबा 0.05 है0, 974 रकबा 0.01 है0, 975 रकबा 0.13 है0, 976 रकबा 0.24 है0, 978 रकबा 0.57 है0, 979/2 रकबा 0.21 है0, 979/5 [illegible] है0, 988/2 रकबा 0.28 है0, 989 रकबा 0.27 है0 कुल किता 11 रकबा 2.12 है0 [illegible] प्रार्थी नं0 2 ता 4 के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि के सीमाज्ञान बाबत पटवारी [illegible] को से सम्पर्क करने पर पता

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:07:52 IST
Reason: SelfAttested

गया कि उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर के नक्शा ट्रेस के स्थान पर लिपीकिय भूल के कारण से सेटलमेन्ट के बाद जारी किये गये नक्शा ट्रेस मे गलत नक्शा का इन्द्राज किया गया। मौके पर रिकार्ड में अंकन अनुसार नये नक्शे में क्षैत्रफल में फेरबदल कर दिया गया। जबकि सेटलमेन्ट से पूर्व केक नक्शे के अनुसार जमाबन्दी में अंकितानुसार क्षैत्रफल का सही अंकन हैं। सेटलमेन्ट के बाद जारी नक्शे में संशोधित करते हुये सही अंकन करवाया जाना न्यायोचित है क्योंकि यह एक लिपिकिय भूल है। अतः उक्त वर्णित भूमि के नक्शे को सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शे अनुसार दुरुस्त किया जावे। सीमाज्ञान बाबत पटवारी से सम्पर्क करने पर नक्शे में फेरबदल होने की जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र अन्दर न्यायालय क्षेत्र पैदा हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमि के नक्शे को सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शे अनुसार दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थी 1 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1 बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एव नायब तहसीलदार से रिपोर्ट चाही गयी। अप्रार्थी 2 ने प्रार्थना पत्र O1R10 CPC बाबत पक्षकार बनने प्रस्तुत किया जिसे बाद बहस प्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही होने से स्वीकार किया गया। अप्रार्थी 2 ने जरिये वकील जबाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी में प्रार्थी ने अन्तिम डिक्री का जानबूझकर अंकन नही किया गया जबकि मु0 नं0 92/2009 उनवानी त्रिलोकचन्द बनाम हनुमाान में वादीगण द्वारा सहमति से निर्णय 11.09.2013 द्वारा डिक्री पारित हुयी थी एवं उसी अनुसार अमल दरामद हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावें। अप्रार्थी 2 द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर व माननीय राजस्व मण्डल के स्तर पर खारिज हो चुकी है।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि निर्णय व डिक्री 11.09.2013 के अमल दरामद के बाद संधारित पुराने नक्शें एवं हाल नक्शे में स्पष्ट रुप से अन्तर दिखायी देता है तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट दिनांक 24.06.2019 व संयुक्त रिपोर्ट फर्द दिनांक 09.01.2017 में स्पष्ट रुप से अंकित है कि साबिक व हाल नक्शें में खसरा नम्बरान की आकृतियों में अन्तर है। अतः प्रार्थना पत्र स्वतः प्रमाणित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जावें। दौराने बहस वकील अप्रार्थी 2 ने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि उक्त तरमीम निर्णय व डिक्री 11.09.2013 की पालना में हुयी है अतः प्रार्थीगण को यदि किसी प्रकार की हकतलफी है तो निर्णय व डिक्री 11.09.2013 की अपील करनी चाहिये थी। ना ही प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया कि [illegible] खसरा नं0 में कितना कम हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी 2 को [illegible] कर प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया अप्रार्थी 2 को आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:07:52 IST
Reason: SelfAttested

बनना पडा। प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नही आये। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जावें।

बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि –

1. निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2013 के अमल दरामद के बाद संधारित पुराने नक्शें एवं हाल नक्शें में स्पष्ट रूप से अन्तर है।
2. तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट दिनांक 24.06.2019 व नायब तहसीलदार, दो भू.अ.निरीक्षक, दो पटवारियान की संयुक्त रिपोर्ट फर्द दिनांक 09.01.2017 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि साबिक व हाल खसरा नम्बरान का रकबा सही है किन्तु साबिक व हाल नक्शें में खसरा नम्बरान की आकृतियों में अन्तर है।

इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड, दस्तावेजात से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत दुरूस्ती साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तहसील नीमकाथाना में स्थित उपरोक्त वादग्रस्त आराजी के हाल राजस्व नक्शें को साबिक नक्शें अनुसार दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:07:52 IST
Reason: SelfAttested